सं. ओ-27018/1/2014-ओएनजीडी. V(भाग.1)/जीपी-।।

भारत सरकार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शास्त्री भवन

नई दिल्ली -110001

दिनांक: 25 अगस्त, 2015

सेवा में

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
   ओएनजीसी, नई दिल्ली।
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
   ओआईएल, नई दिल्ली
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
   गेल, नई दिल्ली।

विषय: नए घरेलू प्राकृतिक गैस मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 - पूर्वोत्तर क्षेत्र में ओआईएल और ओएमजीसी द्वारा प्राकृतिक गैस की आपूर्ति - 40% राजसहायता की प्रयोज्यता - स्पष्टीकरण के संबंध में।

महोदय,

मुझे उपयुरक्त विषय पर ओआईएल के दिनांक 11 फरवरी, 2015 के पत्र सं.ओआईएल/ 44/9/3/3700 के संदर्भ में यह कहने का निर्देश हुआ है कि नए घरेलू मूल्य निर्धारण दिशानिर्देश, 2014 के अनुसार, पूर्वोत्तर राजसहायता की मौजूदा योजना केवल एनओसी द्वारा एपीएम उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई एपीएम गैस की मात्रा (अधिकतम जीएलसी आवंटन तक) पर ही लागू होगी। वर्तमान नीतिगत परिदृश्य में पूर्वोत्तर में सभी ग्राहकों को राजसहायता देना संभव नहीं होगा। उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट किया जाता है कि पूर्व नीति के अनुसार एनओसी द्वारा एपीएम उपभोक्ताओं को आपूर्ति की गई एपीएम गैस की अधिकतम मात्रा (अधिकतम जीएलसी आवंटन तक) पर 40% पूर्वोत्तर राजसहायता उपलब्ध होगी।

2. ओएनजीसी / ओआईएल द्वारा आपूर्ति की गई मात्रा के लिए 40% पूर्वोत्तर राजसहायता जारी रखने और इसका निजी क्षेत्र में विस्तार करने के सीसीईए के निर्णय के संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि नए ऑपरेटर को उन उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति करनी होगी, जिनके पास जीएलसी से एपीएम आवंटन है ताकि उन्हें पूर्वोत्तर राजसहायता के लिए पात्र बनाया जा सके। इसके अलावा, नए ऑपरेटर द्वारा जीएलसी आवंटन के बाद आपूर्ति पर कोई राजसहायता नहीं दी जाएगी। इस प्रकार, नए घरेलू गैस मूल्य निर्धारण के

दिशा-निर्देशों के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जीएलसी द्वारा एपीएम उपभोक्ताओं को आवंटित एपीएम गैस के अलावा गैस की आपूर्ति पर 40% पूर्वोत्तर राजसहायता की प्रयोज्यता संभव नहीं है।

3. इसे राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

हस्ता./-
(एस.पी. अग्रवाल)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 23388652

प्रतिलिपि:-

1. डीएस (ई.II) - सूचनार्थ।
2. तकनीकी निदेशक, एनआईसी से इस पत्रको 'प्राकृतिक गैस - आदेश, अधिसूचनाएं एवं संशोधन' के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट पर इसे अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है।
3. गार्ड फ़ाइल।